(5)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी – मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/332

चौथमल आत्मज लाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम श्रीपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0

––अपीलान्ट

बनाम

1. मंजू पत्नी रामेश्वर दयाल पुत्री चौथमल जाति धाकड़ निवासी अरनेठा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)।
2. सन्तोष पत्नी शिवराज जाति धाकड निवासी अरनेठा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)।
3. सावित्री पत्नी गिरिराज जाति धाकड़ निवासी भवानीपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0।
4. विष्णुबाई पत्नी दुर्गाशंकर जाति धाकड़ निवासी भवानीपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पो0 कम 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 16.04.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 180/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से एक वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि कृषि भूमि खाता संख्या नया 42 पुराना 41 की खसरा नम्बर 236 रकबा 1.78 हैक्टेयर, खसरा सख्या 557 रकबा 1.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 587 रकबा 0.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 590 रकबा 0.70 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.44 हैक्टेयर भूमि वाके माल एवं ग्राम श्रीपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में स्थित है। वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पैतृक है जो प्रतिवादी कम 1 को पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई है

इस कारण वादनी का वादपत्र की चरण सख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर पैदा होते ही अधिकार है। वादपत्र के साथ सजरा परिवार प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी कम 1 का राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम होने का फायदा उठाकर वादपत्र के चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमियों को प्रतिवादी कम 2 लगायत 4 के पक्ष में करना चाहता है जिसका उसे बिना वादीनी को हिस्सा दिये कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं हैं। वादीनी को जब इस बात का पता चला तो प्रतिवादी कम 1 से इस बाबत पूछने पर प्रतिवादी कम 1 ने कहा कि मै तो सारी जमीन प्रतिवादी कम 2 लगायत 4 को ही दूंगा, इसमें तेरा कोई अधिकार नहीं है। उक्त घटना दिनांक 08.08.2006 की है इसी कारण वादपत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो वर्तमान में जैरकार है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में से वादीनी को 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2007 को वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के विभाजन की वादग्रस्त भूमि के विभाजन की अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपीलांट को पूर्व में कोई

जानकारी नहीं थी, प्रार्थी को सर्व प्रथम जानकारी अपनी कब्जेशुदा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा दिनांक 17.11.2024 को कब्जा करने का प्रयास करने पर हुई, जिसके बाद दिनांक 18.11.2024 को न्यायालय में जानकारी कर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 19.11.2024 को नकल प्राप्त कर अपील पेश की जा रही है। अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है, प्रार्थी द्वारा जानबूझकर नहीं की गई है, जिससे दिनांक 24.07.2007 से दिनांक 17.11.2024 की अवधि न्यायहित में कन्डोन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने व अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट चौथमल एवं दीगर प्रतिवादीगण एवं वादीया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया था। वादी एवं प्रतिवादीगण की उनके वकील साहब द्वारा पहचान की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा दिनांक 24.07.2007 को तस्दीक किया जाकर तदनुसार उसी दिन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई, जिसकी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को उसी समय से जानकारी थी। अतः अपीलांट द्वारा दिनांक 17.11.2024 को निर्णय व डिक्री की जानकारी होने का जो कथन किया गया है वह सर्वथा गलत एवं झूठा है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई कारण अपीलांट ने नहीं बताया है। अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र की इस चरण में वर्णित कथन सर्वथा गलत एवं असत्य है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने का निवेदन किया।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय विधी न्याय एंव तथ्यो के सर्वथा विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय अपीलांट को जवाब व साक्ष्य का अवसर दिये बगैर एंव सुचना एंव सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित किया गया हैं जो न्याय के सिद्वान्तो के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया निर्णय न्याय के नियमो के सिद्वान्तो के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ज्युडियीशियल माईण्ड अप्लाई किये बगैर पारित किया गया हैं जो हर सुरत में निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना राजीनामा तस्दीक किये और सभी पक्षकारों के उपस्थित नहीं होन के बावजूद भी राजीनामा के अनुसार निर्णय व डिक्री जारी करने में भारी त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिर्फ अपीलांट के अभिभाषक के कहने मात्र से राजीनामा अनुसार निर्णय पारित करने में भारी भूल की गई

है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 4 व वादी के कहने मात्र से विवादित भूमि पुश्तैनी मानने में भारी त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। सभी पक्षकारों द्वारा राजीनामा सिर्फ अपने हस्ताक्षर कर न्यायालय में पेश किया गया लेकिन न्यायालय द्वारा सभी पक्षों की उपस्थिति में राजीनामा तस्दीक नहीं होने के बावजूद भी राजीनामे के अनुसार निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की गई है जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पिता के जीवनकाल में पुत्रियों को भूमि में अधिकारी मानने में त्रुटि की गई है जबकि राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुश्तैनी भूमि के दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित करने में भारी त्रुटि की गई है जो निरस्तनीय है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से दिनांक 24.07.2007 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया है । उक्त राजीनामें पर अपीलांट एवं अन्य सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर एवं अंगूठा निसानी अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत राजीनामे को तस्दीक किया गया है। राजीनामें के दौरान अपीलांट स्वंय अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है तथा प्रश्नगत राजीनामे पर अपीलांट ने हस्ताक्षर करते हुए राजीनामे के अनुसार वादपत्र डिक्री किए जाने हेतु अपनी सहमति प्रकट की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना करते हुए राजीनामे के अनुसार प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 पारित की है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामा दिनांक 24.07.2007 को तस्दीक किया जाकर तदनुसार उसी दिन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई, जिसकी वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को उसी समय से जानकारी थी। अतः अपीलांट द्वारा दिनांक 17.11.2024 को निर्णय व डिक्री की जानकारी होने का जो कथन किया गया है वह सर्वथा गलत एवं झूठा है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कोई कारण अपीलांट ने नहीं बताया है। अपीलांट ने जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर भी खारिज किए जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.एल. डब्ल्यु. 2001(1) एस.सी. पेज 95, ए.आई.आर. 1982 एस.सी. पेज 1249, आर.आर.डी. 1986 पेज 10, आर.आर.डी. 1993 पेज 821, आर.आर.डी. 1978 पेज 376, आर.आर.डी. 1981 पेज 512 प्रस्तुत किए।ए अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

हमारे मत में सर्वप्रथम प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया तथा उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया। प्रश्नगत अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 को पारित की गई है। अपीलांट ने न्यायालय हाजा में प्रश्नगत अपील दिनांक 02.12.2024 को पेश की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 229 के अनुसार न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी में अपील प्रस्तुत करने हेतु समयावधि 60 दिवस निर्धारित है। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत अपील लगभग 17 वर्ष 4 माह पश्चात पेश की गई है जो गंभीर विलम्ब से पेश की गई है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 17.11.2024 को होने का कथन अंकित किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में पक्षकार था तथा प्रश्नगत राजीनामा अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत राजीनामा दिनांक 24.07.2007 पर अपीलांट के हस्ताक्षर अंकित है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 24.07.2007 पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 एवं उनके अधिवक्ता की उपस्थिति का अंकन है। अतः हमारे मत में दिनांक 24.07.2007 को उपस्थित हुआ है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट एवं अन्य पक्षकारान की उपस्थिति मं प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 पारित की गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 की जानकारी प्रारंभ से ही होना प्रकट होता है। अतः अपीलांट द्वारा प्रश्नगत निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 17.11.2024 को होने का कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। हमारे मत में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 की प्रारंभ से रही है तथा जानकारी होने के बावजूद भी अपीलांट ने गंभीर विलम्ब से अपील पेश की हैं। अपील प्रस्तुत करने में हुए गंभीर विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते है अतः हमारे मत में अपीलांट

की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 180/2006 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 यथावत रखी जाती है।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 16.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/4/25

राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(11)

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या– 2024/332

चौथमल आत्मज लाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम श्रीपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0

––अपीलान्ट

बनाम

1. मंजू पत्नी रामेश्वर दयाल पुत्री चौथमल जाति धाकड़ निवासी अरनेठा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)।
2. सन्तोष पत्नी शिवराज जाति धाकड निवासी अरनेठा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)।
3. सावित्री पत्नी गिरिराज जाति धाकड़ निवासी भवानीपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0।
4. विष्णुबाई पत्नी दुर्गाशंकर जाति धाकड़ निवासी भवानीपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0।

––रेस्पोडेन्टगण

वादपत्र संख्याः 180/2006

मंजू पत्नी रामेश्वर दयाल पुत्री चौथमल जाति धाकड़ निवासी अरनेठा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)।

– वादी

बनाम

1. चौथमल आत्मज लाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम श्रीपुरा तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0
2. सन्तोष पत्नी शिवराज जाति धाकड निवासी अरनेठा तहसील केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)।
3. सावित्री पत्नी गिरिराज जाति धाकड़ निवासी भवानीपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0।

4. विष्णुबाई पत्नी दुर्गाशंकर जाति धाकड़ निवासी भवानीपुरा तहसील व जिला बून्दी राज0।
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, तहसील केशवराय पाटन जिला बून्दी राज0।

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 180/2006 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 16.04.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री धीरेन्द्र मालव, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.07.2007 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 16.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

16/4/25

([illegible] [illegible])
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

योग्य उपखण्ड अधिकारी केशवराय पाटन जिला बून्दी